

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(9)नविवि / 2020पार्ट

जयपुर, दिनांक: २०.०४.२०२१

आदेश

उदयपुर/चित्तौड़गढ़/झूंगरपुर/माउंट-आबू आदि समकक्ष प्रकृति के शहरों/क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के भवनों यथा होटल, रिसोर्ट, मोटल, आवासीय, संस्थागत भवनों हेतु तकनीकी मापदण्ड आदि निर्धारण किये जाने के लिए अन्य समान भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्र/राज्य यथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड आदि के प्रचलित नियमों/विनियमों का अध्ययन कर राज्य के नगरीय क्षेत्रों के लिए भी तकनीकी मानदण्ड/भवन विनियमों हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है। उक्त समिति आगामी 15 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

1.	संयुक्त शासन सचिव—प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।	सदस्य
3.	सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।	सदस्य
4.	वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।	सदस्य
5.	उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।	सदस्य सचिव

राज्यपाल की आज्ञा से,


 (कुंजी जाति मीना)
 प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
- उप विधि परामर्शी/ उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

॥

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम